न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 114 सन 2022

अनवान :–

1. गिरधारी पुत्र मोमनराम जाति बावरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. केसराराम पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
2. श्योपतराम पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
3. रामस्वरूप पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
4. विद्यादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
5. रेशमादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
6. गुड्डी देवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
7. गोरादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
8. बिरमादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
9. सन्तोदेवी पत्नी स्व श्रवण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
10. राजेन्द्र पुत्र स्व श्रीकृष्ण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
11. पवन पुत्र स्व श्रीकृष्ण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
12. शान्तिदेवी पुत्री लिछमणदास पत्नी रामलाल जाति बावरी निवासी चक 13 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 319/309 की कुल 10.1170है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वीरूराम पुत्र लिछमण के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वीरूराम पुत्र लिछमण के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया की बहन शान्तिदेवी ने वीरूराम के लापता होने आदिनांक तक कोई अता पता नही होने के कारण सिविल न्यायालय में सिविल डैथ धोषित करवाने का बाद पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.11.2021 को शान्तिदेवी का वाद डिक्री किया जाकर वीरूराम की सिविल डैथ धोषित किया जाकर शान्तिदेवी को उसका वारिसा धोषित किया गया था।

शान्तिदेवी के भाई मोमनराम व उसकी पत्नी मनोहरी का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है।

शान्तिदेवी जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 की बुआ है प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की शादि हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 12 शान्तिदेवी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 12 जो मृतक है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 12 के भाई बीरूराम के लापता होने पर सिविल न्यायालय से सिविल डैथ घोषित करवाकर बीरूराम का वारिस घोषित करवाया गया था जिसके अनुसार बीरूराम के नाम दर्ज भूमि की प्रतिवादी संख्या 12 हकदार है प्रतिवादी संख्या 12 शान्तिदेवी के दूसरे भाई मोमनराम एव उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है प्रतिवादी संख्या 12 ने अपने भाई बीरूराम की भूमि की वारिस घोषित होने के बाद अपने भाई मोमनराम के वारिसान पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,एवं मोमनराम के मृतक पुत्र कृष्ण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 319/309 की कुल 10.1170हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बीरूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि बीरूराम पुत्र लिछमण के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया की बहन शान्तिदेवी ने बीरूराम के लापता होने आदिनांक तक कोई अता पता नही होने के कारण सिविल न्यायालय मे सिविल डैथ घोषित करवाने का बाद पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.11.2021 को शान्तिदेवी का वाद डिक्री किया जाकर बीरूराम की सिविल डैथ घोषित किया जाकर शान्तिदेवी को उसका वारिसा घोषित किया गया था।

शान्तिदेवी के भाई मोमनराम व उसकी पत्नी मनोहरी का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है।

शान्तिदेवी जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहन व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 की बुआ है प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की शादि हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 12 शान्तिदेवी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं 9 ता 11 के पक्ष मे त्याग किया किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दावालाई वैधिक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 319/309 की कुल 10.1170हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वीरूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वीरूराम के नाम से दर्ज है वीरूराम के लापता /अलापता नही होने पर सिविल न्यायालय मे वीरूराम की सिविल डैथ का वाद प्रतिवादी संख्या 12 के द्वारा पेश करने पर वीरूराम की सिविल डैथ घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या 12 को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 शान्तिदेवी जो वीरूराम एवं मोमनराम की बहन है जिसे सिविल न्यायालय के वीरूराम की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था मोमनराम प्रतिवादी संख्या 12 को भाई था मोमनराम एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की शादि हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 12 ने वीरूराम की भूमि जिसकी उत्तराधिकारी घोषित की गई को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हकों को त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 11 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 319/309 की कुल 10.1170हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वीरूराम पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्यके 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गिरधारी पुत्र मोमनराम जाति बावरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. केसराराम पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
2. श्योपतराम पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
3. रामस्वरूप पुत्र मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
4. विद्यादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
5. रेशमादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
6. गुडडी देवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
7. गोरादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
8. बिरमादेवी पुत्री मोमनराम जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
9. सन्तोदेवी पत्नी स्व श्रवण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
10. राजेन्द्र पुत्र स्व श्रीकृष्ण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
11. पवन पुत्र स्व श्रीकृष्ण जाति बावरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
12. शान्तिदेवी पुत्री लिछमणदास पत्नी रामलाल जाति बावरी निवासी चक 13 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 144 सन 2022 निर्णय दिनांक– 16/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 319/309 की कुल 10.1170हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वीरूराम पुत्र लिछमण के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्यके 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner